



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph: 0141-2706847 (O).

पत्रांक CCE/ISDC/Misc-/Direction/2022/ 254

दिनांक: 03-09-2023

समस्त प्राचार्य,

राजकीय एवं निजी महाविद्यालय,

राजस्थान।

विषय :- राजस्थान मिशन-2030 के संबंध में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के सुझाव प्राप्त करने एवं विभिन्न गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा "राजस्थान मिशन-2030" के संबंध में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों से ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। ऑनलाइन सुझाव जनकल्याण APP एवं QR कोड के माध्यम से तथा ऑफलाइन सुझाव फिजीकल फॉर्मेट द्वारा प्रेषित किये जाएंगे।

महाविद्यालयों द्वारा सभी विद्यार्थियों से फिजिकल फॉर्मेट में सुझाव लेने हेतु निम्न व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. विद्यार्थियों से सुझाव प्राप्त करने हेतु फिजिकल फॉर्मेट का प्रारूप प्रेषित किया जा रहा है। महाविद्यालय द्वारा यह फॉर्मेट सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाना है तथा कक्षावार सभी विद्यार्थियों से फॉर्मेट भरवाये जाने हैं।
2. विद्यार्थियों द्वारा दिये जाने वाले सुझाव स्पष्ट और सरल भाषा में हों तथा वे किसी भी क्षेत्र के लिये अपने अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। इस हेतु उन्हें फॉर्मेट देते समय स्पष्ट निर्देश दे दिये जायें।
3. महाविद्यालय की राजस्थान मिशन-2030 हेतु गठित कमेटी द्वारा सभी सुझावों को मूल्यांकन कर महत्वपूर्ण सुझावों को **दिनांक 09 सितम्बर 2023 तक** स्कैन करवाकर ई-मेल/स्प्रेडशीट या अन्य किसी माध्यम से अपने जिला नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जाना है, साथ ही उन सुझावों का गूगल ड्राइव में फोल्डर बनाकर स्प्रेड शीट में उसका लिंक महाविद्यालय की सम्बन्धित पंक्ति एवं कॉलम में प्रेषित करें।


41

4. जिला नोडल महाविद्यालय द्वारा राजकीय/निजी महाविद्यालयों से प्राप्त सुझावों का मूल्यांकन कर महत्वपूर्ण सुझाव **दिनांक 13 सितम्बर, 2023** तक स्कैन कर गूगल ड्राइव में फोल्डर बनाकर स्प्रेड शीट में महाविद्यालय की सम्बन्धित पंक्ति एवं कॉलम में प्रेषित करें ।
5. समस्त जिला नोडल से प्राप्त सुझावों का राजस्थान मिशन अभियान हेतु गठित PMU (Project Management Unit) द्वारा स्क्रिनिंग की जाएगी तथा **“विभागीय विजन 2030 डाक्यूमेंट”** में सम्मिलित किया जाएगा ।
6. महाविद्यालय में आयोजित होने वाली निबंध प्रतियोगिता में कक्षावार प्रथम तीन विजेताओं के निबन्ध, महाविद्यालय स्तर तथा जिला स्तर का सर्वश्रेष्ठ निबंध, स्कैन करके गूगल ड्राइव में फोल्डर बनाकर उसका लिंक स्प्रेडशीट में महाविद्यालय की सम्बन्धित पंक्ति एवं कॉलम में प्रेषित करें ।
7. महाविद्यालय, जिला स्तर व संभाग स्तर पर तिथिवार आयोजित होने वाली गतिविधियों यथा प्रश्नोत्तरी, हितकारक परामर्श कार्यक्रम, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता के फोटोग्राफ्स, मीडिया कवरेज, विडियो इत्यादि अलग अलग गतिविधियों के अलग अलग फोल्डर बनाकर गूगल ड्राइव में उनका लिंक स्प्रेडशीट में महाविद्यालय की सम्बन्धित पंक्ति एवं कॉलम में प्रेषित करें ।
8. अभियान हेतु आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने हेतु क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करने हेतु विज्ञप्ति नियमित रूप से जारी की जावे ।
9. सभी गतिविधियों में निर्धारित **Mission-2030** के Back Drops का प्रयोग करें ।
10. विभागीय अधिकारी/कर्मचारी, अपना फीडबैक राजस्थान मिशन— 2030 की वैबसाइट **mission2030.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करेंगे ।
11. विद्यार्थी फिजिकल फॉर्मेट के अतिरिक्त, जनकल्याण APP तथा QR कोड के माध्यम से भी अपने सुझाव भेज सकते हैं ।
12. सभी महाविद्यालय प्रत्येक गतिविधि के पश्चात उसकी सूचना स्प्रेडशीट में अविलम्ब भरना सुनिश्चित करें । राजकीय महाविद्यालय स्प्रेडशीट **“Govt. Colleges Mission 2030”** और नए स्थापित राजकीय महाविद्यालय स्प्रेड शीट **“NEW COLLEGE MISSION 2030 SPREADSHEET”** तथा निजी

महाविद्यालय स्प्रेडशीट “Private College Mission 2030” पर समस्त सूचनाएं प्रतिदिन अद्यतन करें।

13. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के सुझाव हेतु फिजिकल फॉर्मेट का प्रारूप संलग्न हैं ।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार ।


आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

क्रमांक: CCE/ISDC/Misc./Direction/2022/ 254

दिनांक: 03-09-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. समस्त संभागीय सहायक निदेशक उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त नोडल प्राचार्य (निजी महाविद्यालय) को भेज कर लेख है कि वे अपनी तहसील में अवस्थित समस्त निजी महाविद्यालयों से दूरभाष पर संपर्क करते हुए उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
8. वैब प्रभारी आयुक्तालय को अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रपत्र

1. SSO ID :
2. नाम :
3. विभाग का नाम (जिसमें कार्यरत हैं) :
4. श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का नम्बर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, जिसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित कर के राज्य का "विजन 2030 दस्तावेज" तैयार किया जा रहा है। राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? (जिस-जिस सेक्टर के बारे में सुझाव देना चाहते हैं, उनके अनुसार सेक्टर सलेक्ट करते जाएं और प्रत्येक सेक्टर के बारे में अधिकतक 500 शब्दों में अपना सुझाव दें)

विद्यार्थियों के सर्वे हेतु प्रपत्र

1. नाम :-

2. मोबाइल नम्बर :-

3. कक्षा :-

4. महाविद्यालय का नाम :-

5. अपने महाविद्यालय में सबसे पहले किस प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं:-

6. विद्यार्थी हित में राज्य सरकार को और कौन सी योजनाएं चलानी चाहिए :-

7. 2030 तक राज्य में किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास की संभावनाएं हैं :-

8. महाविद्यालयी शिक्षा में किस तरह का बदलाव लाना चाहेंगे :-

9. युवाओं के रोजगार हेतु सरकार को क्या प्रयास किए जाने चाहिए :-

10. राजस्थान, 2030 तक देश का नम्बर 1 राज्य बने, इस हेतु आप किस क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहेंगे, अपने सुझाव प्रेषित करें।

11. अन्य सुझाव

स्केन करें

